भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4849
उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

वीडियो रिले सर्विस

4849. श्री चंदन चौहान :
श्री विजय बघेल :
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बधिर या कम सुनने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के अंतर्गत वीडियो रिले सर्विस सेवा (वीआरएस) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वीआरएस को पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन जैसी अन्य आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का विचार है ताकि बधिर या कम सुनने वाले व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वीआरएस की पहुंच और दक्षता में सुधार करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) या अन्य हितधारकों के साथ सहयोग कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन सेवा के क्यूआर कोड 14456 के माध्यम से श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वीडियो रिले सेवा (वीआरएस) पूरे भारत में पहले से ही उपलब्ध है। वर्तमान में, यह सेवा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान - भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) के सहयोग से संचालित की जाती है।

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): जी, नहीं।

*****